प्रेस नोट दिनांक 06.12.2025

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई—पशु क्रूरता अधिनियम व आर्म्स एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार, मांस, अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद-

अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिरहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव, म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह का० सुरजीत कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिरहा के पास से 01 अभियुक्त, 01. मुस्ताक पुत्र मो0 हारुन निवासी ग्राम कटरा मेदनीगंज साहबगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 05 अदद काली पन्नी में करीब 10 किसो मांस, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल नीले रंग ITELL व 2080/- रु0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 05 अदद काली पन्नी में करीब 10 किसो मांस, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल नीले रंग ITELL व 2080/- रु0 की बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 329/ 25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया व मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.मुस्ताक पुत्र मो0 हारुन निवासी ग्राम कटरा मेदनीगंज साहबगंज थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष।

बरामदगी-
05 अदद काली पन्नी में करीब 10 किसो मांस, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल नीले रंग ITELL व 2080/- रु0 बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमरेश कुमार यादव, म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह का० सुरजीत कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।.

थाना रानीगंज , जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने के प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त मो0 तौहीद व मो0 मुजीब को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी की तहरीर के आधार पर उसकी पुत्री की उसके पति, देवरों, देवरानी, सास-ससुर सहित परिवारजनों ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वादी के अनुसार मृतका ने एक सप्ताह पूर्व पति एवं देवरानी के अवैध संबंधों की जानकारी दी थी, जिससे पारिवारिक विवाद चल रहा था। प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ, का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0 433/25 धारा 108 बीएनएस थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. मो0 तौहीद पुत्र मो0 मुजीब निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष 2. मो0 मुजीब पुत्र बुद्ध निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 तौहीद पुत्र मो0 मुजीब निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष ।
2. मो0 मुजीब पुत्र बुद्ध निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अमरनाथ, का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा बालक हत्या प्रकरण का सफल अनावरण, पिता ही निकला अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की मॉनिटरिंग में फॉरेंसिक व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बालक हत्या प्रकरण का सफल अनावरण
थाना अंतू पुलिस, स्पेशल टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से बालक हत्या प्रकरण का त्वरित अनावरण — अभियुक्त पिता गिरफ्तार

वैज्ञानिक जांच व पूछताछ में उजागर—पिता ही निकला बालक का हत्यारा, साक्ष्य बरामद
थाना अंतू क्षेत्र चौबेपुर में विवाह समारोह से लापता बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु; अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था

प्रतापगढ़।
दिनांक 30.11.2025 को वादी का लगभग 7 वर्षीय नाती गाँव चौबेपुर में आयोजित एक विवाह समारोह में भीड़ के दौरान लापता हो गया था । दिनांक 01.12.2025 को सुबह लगभग 07:00 बजे वह गाँव के खेत में बेहोशी की अवस्था में मिला, जिसके शरीर व चेहरे पर चोटों के निशान तथा नाक-मुँह से रक्त पाया गया। CHC सण्डवा चण्डिका ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वादी के अनुसार उसके नाती की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अंतू पर मु0अ0सं0 389/2025 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

प्राप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरता से अवलोकन किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु बहु-अनुशासनिक पुलिस टीमों का गठन किया गया।

फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से प्राप्त सभी संभावित साक्ष्यों का विधिक मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक तरीक़े से संकलन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा भौतिक साक्ष्य, तकनीकी जानकारी, मोबाइल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार, सतत एवं गहन प्रयास किए जा रहे थे । निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी सफलतापूर्वक सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री शुभनाथ साहनी,उ0नि0 श्री गौतम बनर्जी, हे0का0 रिषीकेश यादव,का0 रणजीत सिंह,का0 बौद्ध प्रकाश,का0 अजय चौहान,म0का0 ज्योति व स्पेशल टीम-निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह हे0का0 महेश कुमार सिंह ,का0 बृजेश सिंह, का0 आनन्द यादव, का0 वीरेन्द्र यादव मय चालक कमलेश सिंह यादव व सर्विलांस सेल के आरक्षी संजय सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 389/2025 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त बाबूलाल वर्मा पुत्र सन्त प्रसाद निवासी ग्राम चौबेपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत चौबेपुर जाने वाले चकरोड पर स्थित महिमा साहब के चबूतरे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरी पत्नी के कई लोगों से अवैध सम्बन्ध रहे थे, वर्तमान में एक लड़के से मिलना जुलना है, जो मुझे बर्दाश्त नही था और मैं अपनी पत्नी को भी नही छोड़ना चाहता था । उस लडके से सम्बन्धों के चलते दिनांक 24/11/2025 को मेरा, मेरी पत्नी से विवाद हुआ था, विवाद के बाद मेरी पत्नी

मायके चली गई थी। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर उस लडके के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैनें जितेन्द्र के फंसाने के लिए उपाय सोचा। दिनांक 30/11/2025 को मुहल्ले में आयी बारात में खाना खिलाने के बहाने अपने छोटे बेटे उम्र करीब 7 वर्ष को अपने साथ ले जाकर मुर्दाही बाग के पास चकरोड की मजबूत जमीन पर बेटे के पैर पकड़कर उठाकर सिर के बल कस के पटक दिया और उसके चेहरे को पहने हुए जूतों से जान से मारने की नियत से चोट पहुंचायी और उसे मरा जानकर पास मौजूद झाडी में छोड़कर पुनः बारात में पहुंचकर अपने पुत्र के गायब होने की अफवाह फैलाई और कई लोगों को फोन किया और डायल 112 को सूचना दी परन्तु ढूढ़ते हुए वहां नही गया जहां मेरा पुत्र पड़ा था।

अगले दिन सुबह गाँव के लोगों द्वारा बताने पर मैं अपने पिता व अन्य लोगों के साथ मौके पर गया तो देखा मेरे बच्चे की सांसे चल रही थी। तब मैं व मेरे पिता बारात की गाड़ी से उसे लेकर किशुनगंज अस्पताल गया जहां डाक्टर ने उसे मरा बता दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैनें अपना ही पुत्र मार डाला, बच्चे का रात में ही अन्तिम संस्कार कर पकड़े जाने की डर से मैं रात में ही भाग गया, परन्तु आज मैं अपने बड़े बेटे से मिलने आया और आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर कपड़ो व जूतों बरामद किए गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. बाबूलाल वर्मा पुत्र सन्त प्रसाद निवासी ग्राम चौबेपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी-
खून लगे कपड़े 01 फुल शर्ट, व 01 अदद फुल टीशर्ट व एक बण्डल एक जोड़ी जूते बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री शुभनाथ साहनी,उ0नि0 श्री गौतम बनर्जी, हे0का0 रिषीकेश यादव,का0 रणजीत सिंह,का0 बौद्ध प्रकाश,का0 अजय चौहान,म0का0 ज्योति थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम- निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह हे0का0 महेश कुमार सिंह ,का0 बृजेश सिंह, का0 आनन्द यादव, का0 वीरेन्द्र यादव मय चालक कमलेश सिंह यादव व सर्विलांस सेल के आरक्षी संजय सिंह।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मंसूर को किया गया गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के मेढ़ावा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 बृजेश कुमार

मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 छत्रपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 436/25 धारा 87,137(2),131,352,351(2) बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मंसूर पुत्र मकबूल निवासी सकरावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत मेढावा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.मंसूर पुत्र मकबूल निवासी सकरावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 छत्रपाल थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी , जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आशीष कुमार सिंह को सदर प्रतापगढ़ में सई नदी पुल के पास से किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में निरीक्षक श्री मनोज कुमार मय हमराह उ0नि0 अतुल कुमार यादव व म0का0 प्रिया मिश्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70 (1) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आशीष कुमार सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह निवासी सोहाई बाग पोस्ट पहाड़पुर काशो थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली उम्र करीब 35 वर्ष को सदर प्रतापगढ़ में सई नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आशीष कुमार सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह निवासी सोहाई बाग पोस्ट पहाड़पुर काशो थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक श्री मनोज कुमार मय हमराह उ0नि0 अतुल कुमार यादव व म0का0 प्रिया मिश्र थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना- कोतवाली नगर, जनपद- प्रतापगढ

थाना कोतवाली नगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में छिनैती के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत करौन्दी पुल के पास पूरेश्वर नाथ में थाना कोतवाली नगर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दोनों पैर में गोली लगी/ गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्त अरविन्द कुमार विश्वकर्मा को ईलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेजा गया है-

अभियुक्तों के कब्जे से छीना हुआ 01 अदद मोबाइल फोन वीवो व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया-

दिनांक 03.12.2025 को वादिनी थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ रात्रि कार्य से वापस लौटते समय G.C.I.C. कॉलेज के सामने एक अज्ञात बाइक सवार ने उनका मोबाइल छीन लिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ने पर वे गिर पड़ीं और घायल हो गईं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 626/2025 धारा 304 बीएनएस में का अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 06.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्वेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत करौन्दी पुल के पास पूरेश्वर नाथ में चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में छिनैती के अभियोग से संबंधित शातिर अभियुक्त अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र राम सुन्दर विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सहीजनपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ के दोनो पैर में गोली लगी/ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तों के कब्जे से छीना हुआ 01 अदद मोबाइल फोन वीवो व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 629/25 धारा 109 (1)बीएनएस व 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अरविन्द कुमार विश्वकर्मा पुत्र राम सुन्दर विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सहीजनपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 175/2023 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 626/2025 धारा 304 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी, उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव, उ0नि0 राहुल कुमार, हे0का0 नासिर कमाल, हे0का0 आरिफ खान, का0 विलास, का0 अंकित प्रजापति, का0 सचिन कुमार, थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़।